भगवान सिंह - आराम मु.नं. 15/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.11.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20.12.24 को पेश हो।	
20.12.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 3.1.25 को पेश हो।	
3.1.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20.1.25 को पेश हो।	
20.1.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. तहत का रिकार्ड प्राप्त। वास्ते बहस दिनांक 3.2.25 को पेश हो।	
3.2.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 19.2.25 को पेश हो।	
19.2.25	पत्रावली पेश। बहस अपीलांट सुनी गयी पश्चात वास्ते आदेश दिनांक 3.3.25 को पेश हो।	
3.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 15/2023

1 भगवान सिंह पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी मलसीवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 उमाराम (मृत)
1/1 प्रभाती देवी पत्नी उमाराम
1/2 शिशपाल पुत्र उमाराम
1/3 विजयपाल पुत्र उमाराम
1/4 रूपाराम पुत्र उमाराम
1/5 प्यारेलाल पुत्र उमाराम
जाति ब्राह्मण निवासी सेठा की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
1/6 किरण पुत्री उमाराम पत्नी रामोतार शर्मा जाति जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।
1/7 चम्पा पुत्री उमाराम पत्नी बलवीर जाति ब्राह्मण निवासी किशनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
1/8 राजू पुत्री उमाराम पत्नी जयपाल जाति ब्राह्मण निवासी किशनपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।
1/9 बबीता पुत्री उमाराम पत्नी लालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सीतसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
2 प्रहलाद पुत्र नन्दलाल
3 बजरंगलाल पुत्र नन्दलाल
4 रिछपाल पुत्र नन्दलाल
जाति ब्राह्मण निवासी सेठा की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 मांगलाल पुत्र चौथमल
6 धनपतराम पुत्र चौथमल
7 गंगाधर पुत्र चौथमल
8 गोमाराम पुत्र चौथमल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

9 गिरधारी पुत्र चौथमल
जाति ब्राह्मण निवासी सेठा की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 डालूराम (फौत)
10/1 रामस्वरूप पुत्र डालूराम
10/2 राजेन्द्र पुत्र डालूराम
10/3 बाबूलाल पुत्र डालूराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सेठा की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10/4 सावित्री देवी पुत्री डालूराम पत्नी जगदीश सिंह रणवां जाति जाट निवासी हाल आबाद जुठू का बास (दातरू) तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
10/5 सुमन देवी पुत्री डालूराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी माधोपुरा (मंगलूणा) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10/6 सरिता देवी पुत्री डालूराम पत्नी रातनाथ जाति जाट निवासी माधोपुरा (लारां) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10/7 मनसी देवी पत्नी डालूराम जाति जाट निवासी सेठा की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 राज्य सरकार जरिए तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय
एसडीओ फतेहपुर दिनांक 14.10.96 अन्तर्गत
धारा 223 काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :
1. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 3/3/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 123/1994 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.1996 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 7 वाके ग्राम सेठो की ढाणी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय जैर अपील देने से पूर्व विचारण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर कोई गौर नहीं किया। ग्राम सेठो की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ की तन में आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 27 बीघा पुख्ता में से स्व. चौथमल का हिस्सा 6 बीघा पुख्ता भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 20.05.1970 को अपीलान्ट के पिता स्व. टोडाराम ने खरीद कर कब्जा ले लिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 39 के उक्त भूमि वादी अपीलान्ट के पिता स्व. टोडाराम के नाम से दर्ज हो गई थी तब से उक्त आराजी पर पहले वादी का पिता व उसकी मृत्यु के बाद वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक भी वादी अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस बात पर कोई गौर नही कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। पत्रावली पर वादी अपीलान्ट का वाद साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट साबित होते हुए भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर कानूनी गलती की है। रिकार्ड पर वादी 6 बीघा का रिकार्डेड खातेदार होने तथा वादी अपीलान्ट का जमाबन्दी में इन्द्राज होने के बावजूद भी नाम हजफ हो गया तथा वादी अपीलान्ट का इन्द्राज दुरूस्ती का वाद होने तथा रिकार्ड पर सारे तथ्य स्पष्ट साबित होने के बावजूद भी वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विक्रय दिनांक 20.05.1970 के आधार पर स्वयं के पिता के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी फ्रेगमेंट के कारण पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज होने के कारण वाद प्रस्तुत कर खातेदारी की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ए) में हुये संसोधन को 11.11.1992 से प्रभावी मानकर वाद खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वरवक्त बहस अपीलांट का कथन है कि धारा 42(ए) में हुये संसोधन दिनांक 11.11.1992 भूतलक्षी प्रभाव से लागु है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि फ्रेगमेंट के संदर्भ में पारित संसोधन दिनांक 11.11.1992 के संदर्भ में विधिक बिन्दु पर अपीलांट को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ग)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर